(5)

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

संकल्प
झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2016

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, आरंभ एवं लागू होना :–

(i) यह **"झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2016"** कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड में होगा।

(iii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

(iv) यह योजना उन सभी मीडिया प्रतिनिधियों पर लागू होगी, जो झारखण्ड राज्य में निवास करते हैं और जिनका कार्यक्षेत्र झारखण्ड राज्य है या जिनका निवास स्थान आवेदन पत्र में उल्लिखित कार्यस्थल/पदस्थापन के स्थान पर है।

स्वतंत्र पत्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त के सन्दर्भ में सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा निर्गत प्रेस प्रमाण पत्र धारकों (बीमा संबंधी आवेदन पत्र भरने के समय मान्य) के संबंध में लागू होगी।

2. **परिभाषाएँ** – इस योजना में जब तक विषय और सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

i. विभाग से अभिप्रेत है, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ।

ii. प्रधान सचिव/सचिव से अभिप्रेत है, प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखंड।

iii. "निदेशक" से अभिप्रेत है कि निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशालय, झारखण्ड।

iv. "पत्रकार" से अभिप्रेत है मीडिया प्रतिनिधि जो किसी प्रिंट मीडिया/इलेक्ट्रोनिक मीडिया/न्यू मीडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा सूचना संग्रहण एवं प्रेषण का कार्य करते हों।

v. "परिवार" से अभिप्रेत है बीमा योजना लागू होने की तिथि से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनकी पति/पत्नी एवं निर्भर दो बच्चे जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम हो।

vi. "बीमा" से अभिप्रेत है ऐसा अनुबंध जो निश्चित अवधि के लिए बीमितों के समूह में स्वास्थ्य–लाभ विषयक इलाज–खर्च हेतु उक्त को देय लाभ के लिए किया गया है।

vii. "प्रिंट मीडिया" से अभिप्रेत है "नियतकालीन प्रकाशन" वाले समाचार पत्र/पत्रिका जिसमें सार्वजनिक समाचार अथवा सार्वजनिक समाचारों की समीक्षा भी अन्तर्विष्ट हों एवं भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार से निबंधित हो।

viii. "इलेक्ट्रोनिक मीडिया" से अभिप्रेत है "नियतकालीन मीडिया संगठन" जो न्यूज बुलेटिन/करेंट अफेयर्स का प्रसारण करता हो तथा भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अधीन संचालित होता हो।

ix. "न्यू मीडिया" से अभिप्रेत है समाचारों और टिप्पणियों का प्रकाशक/ प्रसारक और इसमें समाचार पत्र, वायर सर्विस/नन वायर सर्विस, न्यूज एजेंसी, न्यूज फीचर एजेंसी, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एजेंसी, न्यूज पोर्टल, वेबसाईट, सामुदायिक रेडियो/वीडियो शामिल है।

x. "संपादक" से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो ''प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1867'' के अधीन समाचार पत्र का घोषित संपादक हो एवं प्रकाशित खबरों के चयन के लिए जिम्मेवार है।

xi. "नियोजक" से अभिप्रेत है आवेदक के संस्थान में पदधारक व्यक्ति जिसे उस संस्थान में नियोजन का अधिकार प्राप्त है।

xii. "ब्यूरो प्रमुख" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो विहित नियमों के अधीन एवं प्रक्रिया के अनुसार उस संस्थान का ब्यूरो प्रमुख घोषित किया गया हो।

3. **बीमा की राशि** – निविदा में सफल कम्पनी के द्वारा प्रीमियम दर की आयु वार निर्धारित राशि।